डीआरआई ने 26.5 करोड़ रुपये की 1.92 किलो कोकीन जब्त की जिसे थर्माकोल बॉल्स के अंदर छिपाकर आयात किया गया था

प्रविष्टि तिथि: 15 JUN 2023 9:01PM by PIB Delhi

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने कूरियर के जरिये भारत में नशीले पदार्थों (कोकीन) की तस्करी के एक नए तौर-तरीके का पता लगाया है, जिसमें थर्मोकोल बॉल्स के भीतर कोकीन छुपाया गया था। इस पैकेट को माल को पैक करने वाला कुशन बताकर भारत लाया गया था।

डीआरआई की खास खुफिया जानकारी के आधार पर न्यू कूरियर टर्मिनल, नई दिल्ली में डीआरआई अधिकारियों ने कूरियर खेप को पकड़ा और उसकी जांच की, जिसमें 1922 ग्राम कोकीन की बरामदगी हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 26.5 करोड़ रुपये है।

कूरियर की खेप साओ पाउलो, ब्राजील से दो बक्सों में पहुंची और कहा गया था कि इसमें "टेबल सेंटर (सजावटी वस्तु)" है। खेप की प्रथम दृष्टया जांच से पता चला है कि दोनों बक्सों में एक-एक क्रिस्टल ग्लासवेयर सजावटी कटोरा था, साथ ही कांच के बर्तन को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए लगभग दो सेमी व्यास के हजारों थर्मोकोल बॉल्स पड़ी हुई थीं।

हालांकि, थर्माकोल बॉल्स की सावधानीपूर्वक जांच की गई तो कुछ बॉल्स बाकी की तुलना में थोड़ी भारी (केवल 1-2 ग्राम) थीं। इसके बाद वजन के अनुसार, भारी थर्मोकोल बॉल्स को अलग कर दिया गया, जो कुल थर्मोकोल बॉल्स का लगभग 10 प्रतिशत था। 972 भारी थर्माकोल बॉल्स को काटने पर उसमें सफेद पाउडर मिला।

थर्मोकोल बॉल्स में ढके क्रिस्टल ग्लास कटोरे वाला बॉक्स

कोकीन की बॉल्स पतली पारदर्शी पॉलिथीन से ढकी हुई, थर्मोकोल की बॉल्स के अंदर छिपी हुए

बॉल्स से कोकीन निकालना

उक्त सफेद रंग का पाउडर जांच में कोकीन निकला। लिहाजा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत कुल 1922 ग्राम कोकीन बरामद और जब्त की गई है।

आगे की जांच चल रही है।

****

एमजी/एमएस/आरपी/वीएस/वाईबी

(रिलीज़ आईडी: 1932824) आगंतुक पटल : 329

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Marathi , English , Urdu